प्रेस नोट
दिनांक 19.01.2026

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से 02 अदद मोटर साइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 शातिर वाहन चोर 01. हेमन्त पुत्र सुरेश कन्नौजिया, 02. राज भारती पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासीगण ग्राम बरसैनिया बल्लीपुर थाना को मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके कब्जे व निशानदेही पर 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 19.01.2026 को थाना कोतवाली मनकापुर के उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र व वांछित तलाश में भ्रमणशील थे, कि हरसिहंवा चौहानपुर रेलवे क्रासिंग पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान वाहन चोर 01. हेमन्त पुत्र सुरेश कन्नौजिया, 02. राज भारती पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासीगण ग्राम बरसैनिया बल्लीपुर थाना को मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके कब्जे व निशानदेही पर 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वे चोर हैं और जिस मोटरसाइकिल DL 8S CU 6764 से वे आ रहे थे वह चोरी की है जिसे उन्होने 16.01.2026 को मसकनवा थाना छपिया से चुराया था, जिसके संबंध में थाना छपिया पर अभियोग पंजीकृत है। एवं दूसरी मोटरसाइकिल DL 8S CU 6764 को करीब 01 साल पहले मोतागंज से चुराई थी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा एवं बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड गोण्डा रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हेमन्त पुत्र सुरेश कन्नौजिया उम्र 18 वर्ष।
02. राज भारती पुत्र अर्जुन प्रसाद उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम बरसैनिया बल्लीपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 0022/2026 धारा 303 (2)बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 0007/2025 धारा 303 बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 26/2026 धारा 317 (2) बी0एन0एस0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हीरो एचएफ डीलक्स (रंग काला/लाल रजि0 नं0 UP 43 AB 6377)
02. हीरो स्पेलेण्डर प्लस (रंग काला रजि0 नं0 DL 8S CU 6764)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय हमराह
02. हे0का0 सुरेश कुमार गुप्ता
03. का0 दुर्गेश चौधरी
04. का0 गौरव बरनवाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.01.2026

बालश्रम की रोकथाम हेतु थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत संचालित दुकानों, होटलों व मोटर गैराजों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत-

आज दिनांक 10.01.2026 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू टीम द्वारा को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया।
इस अभियान में श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, अपराजिता सामाजिक समिति एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जनपद गोण्डा की टीम सम्मिलित रही। अभियान का मुख्य उद्देश्य अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति उन्मूलन तथा बाल श्रम की रोकथाम के संबंध में आमजन को जागरूक करना तथा "बचपन बचाओ, शिक्षा दिलाओ - पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत" संदेश का प्रसार करना रहा। दौराने अभियान 01 सेवा नियोजक द्वारा 01 नाबालिग बालक से बाल श्रम कराए जाने की पुष्टि हुई, जिनके विरुद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए निरीक्षण टिप्पणी काटी गई। जनजागरूकता के दौरान आमजन को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090 महिला हेल्पलाइन,112 आपातकालीन सेवा, 181 महिला शक्ति हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 स्वास्थ्य सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। एएचटीयू प्रभारी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। यदि किसी को चाय, होटल या ढाबे पर बच्चों को काम करते हुए देखें, तो उसे रोकें। आवश्यक होने पर चाइल्ड लाइन (1098), आपातकालीन नंबर (112) या सशस्त्र सीमा बल (1903) पर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.01.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संचालित -

गोण्डा। आज दिनांक 19.01.2026 को शासन की मंशा के अनुरूप बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम, समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बालिकाओं एवं बालकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 (100 दिवसीय) तक संचालित "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त अभियान को सफल बनाये जाने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार तथा नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदया सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना एएचटी (एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की संयुक्त टीम द्वारा थाना तरबगंज क्षेत्रांतर्गत बजरंग सिंह इण्टर कालेज चौबेपुर में छात्र एवं छात्राओं को जागरुक करते हुए सरकार की नीतियों के विषय में जानकारी दी गयी। और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया, मिशन शक्ति अभियान फेज-5, बाल श्रम उन्मूलन, मानव तस्करी व नशा मुक्ति बाल विवाह निषेध के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक दुष्परिणामों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा यह बताया गया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि कानूनन दण्डनीय अपराध भी है। बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों, सरकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं को यह भी अवगत कराया गया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की तैयारी अथवा घटना की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा संबंधित विभागों को देकर समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अवैधानिक गतिविधि के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक लालबिहारी (थाना एएचटी), उप निरीक्षक गऊचरन, शाखा एसजेपीयू से प्रभारी निरीक्षक प्रियंका मिश्रा तथा अपराजिता सामाजिक समिति, गोण्डा से श्री आत्रेय त्रिपाठी एवं चाईल्ड हेल्पलाइन से श्री मुकेश भरद्वाज उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.01.2026

बालश्रम की रोकथाम हेतु थाना कोतवाली देहात व थाना/कस्बा वजीरगंज एवं नबाबगंज क्षेत्रांतर्गत संचालित दुकानों, होटलों व मोटर गैराजों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत-

आज दिनांक 19.01.2026 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात व थाना/कस्बा वजीरगंज एवं नबाबगंज क्षेत्रांतर्गत संयुक्त जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस अभियान में श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, अपराजिता सामाजिक समिति एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जनपद गोण्डा की टीम सम्मिलित रही। अभियान का मुख्य उद्देश्य अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति उन्मूलन तथा बाल श्रम की रोकथाम के संबंध में आमजन को जागरूक करना तथा "बचपन बचाओ, शिक्षा दिलाओ - पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत" संदेश का प्रसार करना रहा। दौराने अभियान 02 सेवा नियोजक द्वारा 02 नाबालिग बालक से बाल श्रम कराए जाने की पुष्टि हुई, जिनके विरुद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए निरीक्षण टिप्पणी काटी गई। जनजागरूकता के दौरान आमजन को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090 महिला हेल्पलाइन,112 आपातकालीन सेवा, 181 महिला शक्ति हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 स्वास्थ्य सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। एएचटीयू प्रभारी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। यदि किसी को चाय, होटल या ढाबे पर बच्चों को काम करते हुए देखें, तो उसे रोकें। आवश्यक होने पर चाइल्ड लाइन (1098), आपातकालीन नंबर (112) या सशस्त्र सीमा बल (1903) पर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।